

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर (राज.)

क्रमांक- जिविसेप्रा/जालोर/लेखा/2026-27/02

दिनांक-05.6.2026

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ-16 (123)/रालसा/जेएस/LADC/2026/7221-7257 दिनांक 24.3.2026 की अनुपालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर के अधीनस्थ कार्यालय Full Time Legal Aid Defence Council Engagement System-Jalore कार्यालय हेतु संविदा सेवा के अन्तर्गत पूर्णतया अस्थाई तौर पर निम्नांकित पदों के लिए माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक F 16 ()/RSLSA/J.S./LADCS/2024/8818 Dated 29.7.2024 एवम् कार्मिक विभाग (क-2) जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.17 (10)/डीओपी/ए-11/94 जयपुर दिनांक 28.3.2023 के अनुक्रम में मौजूदा वित्तीय वर्ष, 2026-27 में दिनांक 31.3.2027 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक (राशि रूपयों में)
1	2	3	4
1	ऑफिस असिस्टेन्ट	03 (तीन)	14,000/-
2	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	01 (एक)	14,000/-
3	ऑफिस पीओ	03 (तीन)	11,000/-
कुल पद		07 (सात)	

नियम एवं शर्तें-

- सरकारी सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएं देने के इच्छुक सरकार से सेवानिवृत्त कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन-पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेंगे। उक्त संवर्गों की सेवाएं राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अधधीन प्रभावी रहेगी।
- उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30वां भाग कांटा जायेगा।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधधीन होगी।
- कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- उक्त भर्ती मौजूदा वित्तीय वर्ष, 2026-27 में दिनांक 31.3.2027 तक की जानी है, जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार शर्तों के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
- ई-मेल द्वारा प्रेषित किये जाने वाले आवेदन-पत्र किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- कार्मिकों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- विस्तृत विज्ञप्ति व आवेदन-पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय की अधिकृत विभागीय वेबसाईट <https://jalore.dcourts.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

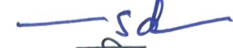
उपरोक्त वर्णित पदों की सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक आवेदन-पत्र मय वांछित दस्तावेजों के दिनांक 12.6.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक इस प्राधिकरण कार्यालय में जरिये डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कतिपय विचार नहीं किया जावेगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जालोर

लगातार.....

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने आवश्यक दस्तावेजों का विवरण-

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति।
2. अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी.) की प्रति।
3. पी.पी.ओ. ऑर्डर की प्रति।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न है।)


सचिव

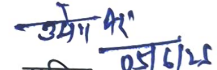
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश)
जालोर (राज.)

क्रमांक- जि.वि.से.प्रा./जालोर/संविदा/2026-27/2848-57

दिनांक-05.6.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जालोर।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
4. अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सेवा समिति, भीनमाल, सांचौर एवं रानीवाड़ा को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. जिला नियोजन अधिकारी, जालोर।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जालोर को जिला न्यायालय की अधिकृत विभागीय वेबसाईट पर अपलॉड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश)
जालोर (राज.)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर (राज0)
(सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप)

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम —
2. पिता/पति का नाम —
3. जन्म तिथि —
4. पता मय मोबाईल नम्बर —
5. आयु (दिनांक 01.6.2026 को) — वर्ष.....माह.....दिन
6. अर्हताएँ —
7. मूल विभाग का नाम —
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद —
9. अनुभव —
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न करें) —
11. मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति संलग्न करें) —
12. धारित पद का वेतनमान —
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र (संलग्नानुसार) —
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है —

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबन्ध

अद्योहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का ईच्छुक है। अद्योहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबन्ध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्त कर्मचारी के हस्ताक्षर

:: विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र ::

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या-01 से 14 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी श्री.....जो सेवानिवृत्ति से पूर्व.....के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार सन्तोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अम्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती.....रूपये मासिक मूल वेतन.....(रनिंग पे बेण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती.....अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है और श्री/श्रीमती.....के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदौन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर